

फर्द अहकाम

रामकुंवार वगै०

बनाम

राजरथान सरकार वगै०

तलय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
सं० / 2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.05.2025	<p>अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार अजमेरा द्वारा वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 04.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>	
4.6.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उपस्थित। प्रतिवादीगण की प्रत्यक्षता के धारकी दिनांक 6/8/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>	
6.8.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उप०। प्रतिवादीगण के तामील सम्मन मग डिलीवरी स्टेट पेश। 17.11.25 रीट प्रतिवादीगण की तामील मर्यादा गयी। प्रतिवादीगण को उपस्थिति हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/11/25 को पेश हो।</p>	
17.9.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वारी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वारी को भात-भावालय में पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाज लगायी गयी। बावजूद आवाज लगाते के अंशों भी वारी के भावालय में दामिद नहीं जाने के कारण पत्रावली अंतर्गत आदेशों-3 वा.दी. के तहत अदम्य दायरी व समय धरकी में स्वारिज की गयी। पत्रावली के ताल-बुलाव होकर नंबर से मस हीनर शक्तिल अन्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>	